मूल हिंदी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1637

01 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में पीएमएवाई-यू

1637. श्री प्रदीप पुरोहितः
श्री मुरारी लाल मीनाः
श्री लुम्बा रामः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री जुगल किशोरः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत स्वीकृत और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है तथा इसकी शुरुआत से लेकर अब तक असम सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मकान आवंटित किए गए हैं

(ख) महिलाओं और पुरुषों के नाम पर अलग-अलग पंजीकृत मकानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पीएमएवाई-यू के आगे विस्तार के लिए भावी रूपरेखा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए क्रियान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों सहित देशभर में प्रत्येक आवास के लिए निर्धारित स्वीकार्य केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।
राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 22.07.2024 की स्थित के अनुसार, पीएमएवाई-यू के तहत असम राज्य सहित 118.64 लाख आवासों की मंजूरी दी जा चुकी है, स्वीकृत आवासों में से, 114.33 लाख आवास निर्माणाधीन हैं; जिनमें से 85.04 लाख आवास पूरे हो चुके हैं /लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं । स्वीकृत आवासों के लिए (लगभग) 2.00 लाख करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता शामिल है जिसमे से अब तक 1.64 लाख करोड़ रु. जारी किये जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू के तहत इसकी शुरुआत से अब तक स्वीकृत और पूर्ण/सुपुर्द किए गए आवासों की संख्या तथा स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 16.79 लाख , 49.63 लाख और 39.44 लाख आवास क्रमशः पुरुषों, महिलाओं और संयुक्त स्वामित्व के नाम पर हैं। इस प्रकार, 89 लाख से अधिक आवास महिलाओं के नाम पर या तो संयुक्त रूप से या एकल स्वामित्व में हैं। असम राज्य के संबंध में, 38,525; 67,402 और 69,366 आवास क्रमशः पुरुषों, महिलाओं और संयुक्त स्वामित्व के नाम पर हैं। इस प्रकार, 1,36,768 आवास महिलाओं के नाम पर या तो संयुक्त रूप से या एकल स्वामित्व में हैं।

(घ) केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने 10.06.2024 को पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए आवास निर्माण करने हेतु सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है। इसमें देश के शहरी क्षेत्रों के लिए 1 करोड़ आवास शामिल है

*****

दिनांक 01.08.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1637 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत शुरू से अब तक स्वीकृत एवं जारी केंद्रीय सहायता सहित स्वीकृत आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**आवासों की वास्तविक प्रगति** (संख्या)			**केंद्रीय सहायता से संबंधित वित्तीय प्रगति** (करोड़ रुपए में)	
			स्वीकृत	**निर्माणाधीन**	**पूर्ण/ सुपुर्द**	**स्वीकृत**	**जारी**
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	21,37,028	19,90,937	9,73,837	32,568.27	23,800.26
2		बिहार	3,14,477	3,05,811	1,47,979	4,950.45	3,368.00
3		छत्तीसगढ़	3,02,663	2,89,128	2,38,894	4,810.98	4,088.81
4		गोवा	3,146	3,146	3,145	74.76	75.04
5		गुजरात	10,05,204	9,83,778	9,18,185	21,064.34	19,805.76
6		हरियाणा	1,15,034	93,153	68,114	2,171.64	1,673.50
7		हिमाचल प्रदेश	12,758	12,668	10,705	215.95	202.02
8		झारखंड	2,29,156	2,13,534	1,42,810	3,603.31	2,987.87
9		कर्नाटक	6,38,121	5,73,160	3,69,449	10,614.43	7,168.29
10		केरल	1,67,322	1,47,721	1,23,453	2,781.18	2,293.45
11		मध्य प्रदेश	9,61,147	9,49,265	8,01,068	15,930.45	15,284.69
12		महाराष्ट्र	13,64,923	11,16,949	8,55,339	25,548.21	19,323.37
13		ओडिशा	2,03,380	1,80,647	1,47,148	3,176.98	2,479.75
14		पंजाब	1,32,235	1,16,264	83,894	2,342.54	1,825.79
15		राजस्थान	3,19,863	2,64,357	1,91,971	5,891.46	4,693.97
16		तमिलनाडु	6,80,347	6,63,430	5,70,294	11,185.30	10,135.67
17		तेलंगाना	2,50,084	2,44,219	2,24,659	4,475.66	3,718.27
18		उत्तर प्रदेश	17,76,823	17,33,051	15,47,101	27,962.68	26,065.17
19		उत्तराखंड	64,391	60,160	34,504	1,176.51	940.86
20		पश्चिम बंगाल	6,68,953	6,12,998	4,00,257	10,773.50	7,675.93
उप-योग (राज्य) :-			**1,13,47,055**	**1,05,54,376**	**78,52,806**	**1,91,318.59**	**1,57,606.50**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,499	8,070	7,753	182.38	161.18
22		असम	1,76,643	1,60,473	1,02,712	2,674.26	2,065.73
23		मणिपुर	56,037	48,657	14,699	841.39	471.91
24		मेघालय	4,758	3,793	1,632	72.35	43.31

25		मिज़ोरम	39,605	39,215	11,069	607.80	447.22
26		नागालैंड	31,860	31,841	22,850	503.91	393.41
27		सिक्किम	316	316	202	6.13	7.09
28		त्रिपुरा	92,854	84,751	74,049	1,494.35	1,273.47
उप-योग (उत्तर-पूर्वी राज्य) :-			**4,10,572**	**3,77,116**	**2,34,966**	**6,382.57**	**4,863.31**
29		अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	376	376	47	5.84	2.93
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256	28.78	28.78
31	संघ राज्य क्षेत्र	दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	9,947	9,947	9,230	214.40	200.27
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976	692.53	692.53
33		जम्मू और कश्मीर	47,040	42,894	24,244	724.94	483.48
34		लद्दाख	1,307	1,014	843	30.22	24.05
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	15,995	15,271	9,994	254.12	223.19
उप-योग (यूटी) :-			1,05,897	1,00,734	75,590	1,950.84	1,655.23
कुल योग :-			**118.64 लाख**	**114.33 लाख ***	**85.04 लाख ***	**2.00 लाख करोड़.**	**1.64 लाख करोड़.**

** मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के (3.41 लाख) पूर्ण (4.01 लाख) निर्माणाधीन आवास शामिल हैं।*